फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

महताबसिंह बनाम जगन्नाथ वगै0

मा नं0 :–56/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.04.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02.05.2024 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
02.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण आदिनांक तक उपस्थित नही। रजिस्टर्ड डाक से तामिल रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं0 21 ता 29 की रजिस्टर्ड डाक से तामिल आदिनांक तक नही करवाई गई। वकील प्रार्थी ने उक्त अप्रार्थी सं0 21 ता 29 का प्रार्थना पत्र में से नाम हजफ करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थी सं0 21 ता 29 का नाम प्रार्थना पत्र से हजफ किया जाता है तथा शेष अप्रार्थीगण जिनकी तामिल रजिस्टर्ड डाक से हो चुकी है। उनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थीगण सं0 01 ता 20 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की एक तरफा मजित बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम पोतली, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता सं0 82 खसरा नम्बर 202 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 203 रकबा 3.7800है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.7900है0 व खाता सं0 85 के खसरा नम्बर 201 रकबा 1.5100है0, खाता सं0 83 के खसरा नम्बर 58 रकबा 4.7000है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उप खण्ड अधिकारी (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	